झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा | षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-03

मंगलवार, दिनांक-07 सितम्बर, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.43 बजे अप० तक।

मानननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व की माँगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये जिसके विरोधस्वरूप सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्य एवं मंत्री भी सदन की वेल में आकर प्रतिकार करने लगे,

ii- माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा किये जा रहे विरोध के तरीकों पर आसन द्वारा गहरी नाराजगी अभिव्यक्त की गयी और दिनांक-06.09.2021 को सदन में किये गये आचरण को संसदीय व्यवस्था को तार-तार किये जाने एवं आसन के साथ मजाक बताया,

iii- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने आसन को सर्वोपरि बताते हुए अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि दिनांक-03.09.2021 को उनके अनुसार कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय को बदल दिया गया जिससे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य व्यथित हैं,

iv- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं, तब सभी माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। लेकिन, दिनांक-06.09.2021 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया जो संसदीय परम्परा के प्रतिकूल है।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नो का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-30

(क) उत्तरित कुल-02,	क-अ० सू०-01, श्री सरयू राय,	स०वि०स०,
	अ० सू०-22, श्री बंधु तिर्की,	स०वि०स०।
(ख) अनागत कुल-28,	अ० सू०-23 से अ०सू०-50 तक।	

(इस क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही सहित अधिकांशतः माननीय सदस्य पुनः सदन की वेल में आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे जिसपर आसन द्वारा उन्हें सलाह दी गयी कि हनुमान चालीसा से लाखों लोगों की भावनायें जुड़ी हुई है, अतएव इस प्रकार से इस पवित्र पुस्तक का मजाक नहीं किया जाना चाहिए।)

इसी अवसर पर आसन द्वारा माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम एवं माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव को कहा गया कि सदन के बाहर दो माननीय सदस्य, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता एवं श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता धरने पर बैठे हैं, उन्हें ससम्मान सदन में लाया जाय तदुपरांत उन्हें सदन में लाया गया।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-56

(क) उत्तरित मात्र-01,	तारां०-41, डॉ० इरफान अंसारी,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ठ कुल-04,	तारां०-38, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,	स०वि०स०,

P.T.O.

तारां०-39, श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स०,
तारां०-40, श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स०,
तारां०-42, श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स०।
(ग) स्थगित मात्र-01, तारां०-43, श्री संजीव सरदार, स०वि०स०।
(घ) अनागत कुल-50, तारां०-44 से तारां०-94 तक।

(इस अवसर पर माननीय सदस्या, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने आसन से अनुरोध किया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में कई अवैध शराब की दुकानें खोल दी गयी हैं जिससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अतएव उन्हें अविलम्ब बन्द करवाया जाय।)

इसी क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपनी माँगों के समर्थन में सदन में वेल में आकर धरने पर बैठ गये, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की <u>कार्यवाही 11.38 बजे पूर्वा० से 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।</u>

<u>स्थगनोपरांत</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3.विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा माँग की गयी कि मंगलवार के दिन सदन की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक ही चलायी जाय और आधे घंटे के लिए बजरंगबली को स्मरण करने की अनुमति प्रदान की जाय (भारी शोरगुल),

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा की गयी माँग को अनुचित बताया,

iii- माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की द्वारा मांग की गयी कि हटिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कमड़े से अमोनिया गैस कारखाना तथा झिरी से कचरा डम्पिंग यार्ड को व्यापक लोकहित में तुरत हटाया जाय।

4.शून्यकाल की सूचनायें:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री उमाशंकर अकेला द्वारा शून्यकाल की सूचना पढ़ी गयी तथा शेष सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों मे भेजे जाने हेतु आसन से निदेश प्राप्त हुआ।

5.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा राज्य मे विधि-व्यवस्था सम्बन्धी, माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा कुर्मी/कुड़मी (महतो) को अनुसूचित जनजाति मे शामिल किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति के सम्बन्ध मे दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया, परन्तु इनके नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना झारखण्ड विधान सभा से सम्बन्धित होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व की भाँति सदन में आकर नारेबाजी करने लगे।)

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार का वक्तव्य हुआ।

P.T.O

(8)

7.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

i- आसन से पुकारे जाने पर प्रवर समिति के माननीय सभापति, श्री सत्यानन्द भोक्ता (श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग)" द्वारा झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021" पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया गया,

ii- आसन की अनुमति से सभा सचिव द्वारा पंचम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र में प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं की संकलित प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

8.वित्तीय कार्य:-

आसन से पुकारे जाने पर योजना सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-4 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से सम्बन्धित मांग प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

9.वित्तीय कार्य (क्रमांक-8 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री सुदिव्य कुमार,

(इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य पूर्व की भांति सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

डॉ इरफान अंसारी एवं

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा चर्चा के क्रम में कुछ कहे जाने पर सत्तापक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर विरोधस्वरूप नारेबाजी करने लगे।)

तदुपरांत प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-4 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" में सम्मिलित मांगें बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबन्द) के माध्यम से सभा द्वारा स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लिया।

(इस अवसर पर प्रतिपक्ष के सम्पूर्ण माननीय सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन से अनुरोध किया कि कटौती प्रस्ताव का वापस होना, विपक्ष की शून्यता को प्रदर्शित करता है, अतएव उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।)

10.विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2021

माननीय प्रभारी मंत्री (योजना सह वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

P.T.O.

(4)

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम मे विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक को स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**झारखण्ड विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2021**" सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-08.09.2021 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 07, सितम्बर, 2021ई०।